न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–83 / 2016–17

चितरंजन राम एवं अन्य बनाम बिशुनी राम

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10/10/18	**आदेश** इस वाद के आवेदकगण के द्वारा विपक्षी विशुनी राम की नौबतपुर अंचल अंतर्गत मौजा–चिरौरा थाना नं0–165 में कायम जमाबंदी सं0–$\frac{485}{1}$ को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है। **प्रथम पक्ष** 1. चितरंजन राम, पिता स्व0 विशुन दयाल राम, 2. मनोरंजन राम, पिता स्व0 विशुन दयाल राम, 3. मो0 चमेला देवी, पति स्व0 राम दयाल राम, सभी निवासी ग्राम–चिरौरा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष** विशुनी राम, पिता स्व0–चुगुन राम, ग्राम–चिरौरा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना। इस वाद में विपक्षी के द्वारा दिनांक–15.11.2017 को प्रतिउतर दाखिल किया गया है। दिनांक–27.06.2018 को विपक्षी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। विपक्षी को अंतिम मौका दिया गया। विपक्षी आज भी अनुपस्थिति हैं। अतः एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया जा रहा है। **आवेदकगण का कहना है कि** 1. उभय पक्ष खतियानी रैयत मुखा कहार के वंशज है। चिरौरा मौजा अंतर्गत खाता नं0–523 खेसरा नं0–2097 रकवा 19डी0 एवं खाता नं0 522 खेसरा नं0–810 रकवा 6डी0 अर्थात कुल 25डी0 भूखण्ड पुश्तैनी सम्पति है। 2. प्रश्नगत 25डी0 भूखण्ड में आवेदकगण का 7 $\frac{3}{4}$डी0 हिस्सा होता है, परन्तु विपक्षी के द्वारा गलत ढंग से कुल 25डी0 की जमाबंदी सं0 $\frac{485}{1}$ अपने नाम से कायम करवा ली गयी है। 3. विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 $\frac{485}{1}$ को रद्द करते हुए 7$\frac{3}{4}$डी0 की जमाबंदी अपने नाम से कायम करने का अनुरोध किया गया है।	

विपक्षी के द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर में कहा गया है कि

1. आवेदकगण के द्वारा लाया गया बाद चलने योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

2. आवेदक सं0 1 एवं 2 के पिता राम दयाल राम एवं आवेदक सं0 3 के पति के द्वारा अंचलाधिकारी, नौबतपुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 135/2011–12 में दिनांक 26.04.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–47/2011–12 दायर किया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–15.09.2012 को उक्त अपील निरस्त कर दी गयी।

3. राम दयाल राम के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण वाद दायर किया गया, परन्तु राम दयाल राम की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वारिसान के द्वारा वाद में पैरवी करना छोड़ दिया गया।

4. आवेदकगण का विवादित भूखण्ड पर कोई दावा नहीं बनता है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा विपक्षी के द्वारा दाखिल जबाब के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदकगण के द्वारा विवादित भूखण्ड में हिस्से के निर्धारण हेतु यह वाद लाया गया है। राजस्व न्यायालय के द्वारा हिस्से का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आवेदकगण के द्वारा विपक्षी के पक्ष में किये गये दाखिल खारिज के विरूद्ध अपील की गयी थी जो निरस्त हो गयी। आवेदकगण के द्वारा इस आशय का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिससे यह प्रमाणित हो कि विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 $\frac{485}{1}$ अवैध है। आवेदकगण अपने हिस्से की घोषणा के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/07/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

10/07/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना